प्रकरण संख्या 39/2017 श्रीमती प्रेम कुंवर बनाम भैरूसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खरवड़ो का गुडा, तहसील मावली में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 ''अ'' वर्णित आराजी नंबर 146, 147, 155, 156, 162 से 164, 166 से 170, 194 से 198, 206, 583, 938, 942 कुल किता 21 रकबा 52 बीघा भूमि स्थित है जो जमाबन्दी में संयुक्त रूप से अंकित होकर मृतक श्रीमती रूपा देवी पत्नी स्वर्गीय देवीसिंह के नाम 1/32 हिस्से अनुसार दर्ज है। कलम संख्या 1 ''ब'' में वर्णित आराजी नंबर 926 रकबा 4 बिस्वा चाह मृतक श्रीमती रूपा देवी पत्नी स्वर्गीय देवीसिंह के नाम 3/174 हिस्सा अनुसार दर्ज है। कलम संख्या 1 ''स'' में वर्णित आराजी नंबर 865 रकबा 3 बिस्वा मृतक श्रीमती रूपा देवी पत्नी स्वर्गीय देवीसिंह के नाम 1/80 हिस्सा अनुसार दर्ज है। कलम संख्या 1 ''द'' में वर्णित आराजी नंबर 582 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा मृतक श्रीमती रूपा देवी पत्नी स्वर्गीय देवीसिंह के नाम 3/64 हिस्सा अनुसार दर्ज है। कलम संख्या 1 ''य'' में वर्णित आराजी नंबर 55 रकबा 1 बिस्वा मृतक श्रीमती रूपा देवी पत्नी स्वर्गीय देवीसिंह के नाम 1/4 हिस्सा अनुसार दर्ज है। कलम संख्या 1 ''र'' में वर्णित आराजी नंबर 602 रकबा 16 बिस्वा मृतक श्रीमती रूपा देवी पत्नी स्वर्गीय देवीसिंह के नाम 1/8 हिस्सा अनुसार दर्ज है। कलम संख्या 1 ''ल'' में वर्णित आराजी नंबर 851 रकबा 3 बिस्वा आराजी चाह मृतक श्रीमती रूपा देवी पत्नी स्वर्गीय देवीसिंह के नाम 1/48 हिस्सा अनुसार दर्ज है। कलम संख्या 1 ''व'' में वर्णित आराजी नंबर 57/3, 933, 934, 975/2, 1600/976 कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा मृतक श्रीमती रूपा देवी पत्नी स्वर्गीय देवीसिंह के नाम 1/48 हिस्सा अनुसार दर्ज है। उक्त आराजियात की स्वामिनी श्रीमती रूपा उर्फ रूपा देवी पत्नी देवीसिंह राजपूत जो मुझ प्रार्थीया की सगी बहन थी, जिसके कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं होने तथा देवीसिंह की मृत्यु पूर्व में ही हो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:48 IST
Reason: SelfAttested

जाने के कारण प्रार्थीया के साथ ही निवास करती थी तथा उसका भरण पोषण प्रार्थीया द्वारा ही किया जाता था इसलिए श्रीमती रूपा देवी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 26.03.2016 को अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति की वसीयत प्रार्थीया के पक्ष में कर अंगुष्ठ निशानी कर दी तथा उसकी नोटरी करवा दी, जिससे प्रार्थीया उक्त आराजियात की खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारिणी है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 5 जो रूपा देवी के पति देवीसिंह के भाई भतीजें हैं, जबरन उक्त आराजियात को हड़पना चाहते हैं तथा बैह, बक्षीस करने पर आमादा हैं। अतः विपक्षी संख्या 1 से 5 को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 से 3 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया रूपा देवी ने प्रार्थीया के पक्ष में कभी कोई वसीयत नहीं की, बल्कि उक्त आराजियात देवीसिंह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। देवीसिंह की मृत्यु दिनांक 24.03.2016 को हुई। प्रार्थीया ने दिनांक 26.03.2016 को रूपा देवी द्वारा वसीयत करना बताया है, जबकि दिनांक 25.03.2016 से 03.04.2016 तक श्रीमती रूपा देवी महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय उदयपुर में भर्ती थी। प्रार्थीया फर्जी वसीयत बनाकर जबरन कब्जा करना चाहती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 14.11.2017 से प्रार्थीया का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर उभयपक्षकारान को मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 04.12.2017 को यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:48 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि उक्त भूमि की एक मात्र सहखातेदार श्रीमती रूपा देवी थी, जो निसंतान होने से एवं उनकी सार संभाल व दवा पानी अपीलान्ट द्वारा किये जाने से रूपा देवी ने अपनी बहन अपीलान्ट के हक में दिनांक 26.03.2016 को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत निष्पादित कर नोटसी से प्रमाणित करवा दी, जिसके आधार पर अपीलान्ट उक्त भूमि अपने नाम खातेदारी घोषणा की अधिकारिणी है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में नहीं मानने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में एवं रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे उक्त भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, न भूमि अपने नाम करावें।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि वसीयत के आधार पर दावा सिविल कोर्ट में ही चल सकता है, राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वसीयतनामा अनुसार 100/— रूपये के स्टाम्प पर श्रीमती रूपा देवी द्वारा उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 26.03.2016 को अपीलान्ट प्रेम कुंवर के पक्ष में की जाकर नोटसी से प्रमाणित है, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण ने उक्त वसीयत को फर्जी बताया है एवं इस संबंध में थाना भुपालपुरा में एफ.आई.आर. भी दर्ज करवायी है। वसीयत फर्जी है अथवा सही, इसका निस्तारण तो मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए उक्त बिन्दु किसी भी पक्षकार के पक्ष में नहीं माना है एवं इस आधार [illegible] के पर शान्ति व्यवस्था

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:48 IST
Reason: SelfAttested

बनाये रखने हेतु मूलवाद के निस्तारण तक दोनों पक्षों को मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 82/2016 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2017 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:48 IST
Reason: SelfAttested